

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक - नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-42/2019/

दिनांक -

--:आदेश:-

निम्नलिखित कार्मिकों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	केरीगा राम	नर्स प्रथम	जालोर	01.08.1959	31.07.2019
2.	हेमलता शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	30.08.1959	31.08.2019
3.	जय शिव प्रसाद	नर्स प्रथम	भरतपुर	01.10.1959	30.09.2019
4.	भंवर सिंह चूडावत	नर्स प्रथम	जालोर	21.09.1959	30.09.2019
5.	कैलाश चन्द्र शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर प्रथम	15.11.1959	30.11.2019
6.	अशोक कुमार पाराशर	नर्स प्रथम	अजमेर	01.12.1959	30.11.2019
7.	रमेश कुमार अखावत	नर्स प्रथम	पाली	01.12.1959	30.11.2019
8.	उर्मिला देवी	नर्स प्रथम	अजमेर	19.12.1959	31.12.2019
9.	राज श्री शर्मा	नर्स प्रथम	भीलवाडा	01.01.1960	31.12.2019
10.	हरदम सिंह	नर्स प्रथम	कराबी औष नंबर 2 भरतपुर	10.12.1959	31.12.2019
11.	अमर कौर मेहरा	नर्स प्रथम	अजमेर	11.02.1960	29.02.2020
12.	उर्मिला शर्मा	नर्स प्रथम	अजमेर	04.02.1960	29.02.2020
13.	हेमलता	नर्स प्रथम	अजमेर	10.02.1960	29.02.2020
14.	ग्लोरियाना चैरिटी	नर्स प्रथम	कराबी औष नंबर 5 जयपुर	02.03.1960	31.03.2020
15.	सुधारानी कुलश्रेष्ठ	नर्स प्रथम	अजमेर	10.03.1960	31.03.2020
16.	सिन्धी कुमार	नर्स प्रथम	अजमेर	27.03.1960	31.03.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक--

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

-sd-  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 29.04.2019

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-42/2019/203

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. निदेशक, (कराबी योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

-sd-  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर